भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2615

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज अधिकारों का हस्तांतरण और स्थानीय स्तर का शासन

†2615. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः
डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के हस्तांतरण सूचकांक के माध्यम से ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के हस्तांतरण का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 'सरपंच पति' की प्रथा या छद्म कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन कुछ राज्यों से हस्तांतरण सूचकांक डेटा का अद्यतन संग्रह पूरा कर लिया है जो पिछले आकलन के दौरान इसे प्रदान करने में असमर्थ थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो हस्तांतरण सूचकांक का नवीनतम संस्करण जारी करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) जी हाँ, महोदय। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। "कार्य" आयाम में भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतरण का आकलन शामिल है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 के बीच अंतरण सूचकांक का दायरा 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। अंतरण सूचकांक और उप-सूचकांकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, पुडुचेरी और पंजाब जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण सूचकांक पर "बहुत कम (43.9 के राष्ट्रीय औसत से नीचे)" की श्रेणी में रखा गया है। उनके खराब प्रदर्शन के कारणों में चुनाव में देरी, परिसीमन में देरी, कर्मचारियों की कमी, सरकारी संस्थाओं का दखल, अपर्याप्त प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण गतिविधियां और राज्य वित्त आयोगों के गठन में अनियमितता व सिफारिशों में देरी आदि शामिल हैं।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संविधान के भाग-IX के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। इस मंत्रालय को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, जिसे संविधान के भाग IX के रूप में शामिल किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में किसी भी तरह की कठिनाई के संबंध में कोई संदर्भ या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों,

पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे कि बुनियादी मार्गदर्शन और पुनरावलोकन कार्यक्रम, विषयगत हस्तक्षेप, विशेष प्रशिक्षण और पंचायत विकास योजना से संबंधित कार्यक्रम आदि के अंतर्गत क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाती है| यह योजना पंचायत प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय दौरों को भी बढ़ावा देती है, साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास में भी सहायता प्रदान करती है। यह मंत्रालय ग्राम पंचायतों के प्रभावी कामकाज जैसे कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटर और उत्तर पूर्व राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत भवनों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का सह-स्थापन, के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीमित पैमाने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को भी बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित किया और बाद में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम/आईआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि कर और गैर-कर स्रोतों से ओएसआर कैसे उत्पन्न होता है।

यह मंत्रालय, संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे धन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलंब कम होता है। मंत्रालय ने अन्य राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के माध्यम से ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण ग्राम पंचायतों द्वारा पारदर्शी, कुशल और नियम-आधारित खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय वित्त आयोग निधि के उपयोग के पारदर्शी ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिसके तहत पंचायतों की योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी जनता

तक पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार, 'पंचायत निर्णय (NIRNAY) एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

16वें वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030 -31) ने निष्पादन अनुदान के रूप में 87,048 करोड़ रुपयों की अनुशंसा की है। इन निष्पादन अनुदानों को दो घटकों में विभाजित किया गया है – (i) स्थानीय निकाय निष्पादन अनुदान, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उत्पन्न और संवर्धित स्व-स्रोत राजस्व की मात्रा के आधार पर जारी किया जाएगा और (ii) राज्य निष्पादन अनुदान, जो राज्य द्वारा अपने संसाधनों से हस्तांतरित निधि की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(ग) यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो पंचायती राज संस्थाओं में 'सरपंच पति' प्रथा या छद्म कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए|

हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, महिला प्रधानों को उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के मामले की जांच करने और प्रॉक्सी प्रथाओं से संबंधित अन्य मामलों की भी जांच करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सितंबर 2023 में एक सलाहकार समिति का गठन किया। समिति ने फरवरी 2025 में सिफारिशें के साथ अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी हैं और मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया है।

सलाहकार समिति ने सिफ़ारिश की है कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से 'सरपंच पति' की प्रथा को समाप्त करने और महिला सरपंचों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ, जिनमें सामाजिक अभियान, कानूनी सुधार, निगरानी और योजनाएँ भी शामिल हैं। इस मामले के महत्व और पीआरआई में महिलाओं के नेतृत्व पर इसके प्रभाव को देखते हुए, इस मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को एक टास्क फ़ोर्स का भी गठन किया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना है, जिससे महिला नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा मिल सके।

(घ) और (ङ) जी नहीं, महोदय। वर्तमान में, पंचायती राज मंत्रालय का अंतरण सूचकांक का अद्यतन करने या नवीनतम अंतरण सूचकांक जारी को करने कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध-I

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2615 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

अंतरण सूचकांक (डीआई) और उप-सूचकांक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग

श्रेणी	डीआई		रूपरेखा		कार्य		वित्त		पदाधिकारियों		क्षमतानिर्माण		जवाबदेही	
	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक
सामान्यश्रेणीकेराज्य														
1	कर्नाटक	72.23	केरल	83.56	तमिलनाडु	60.24	कर्नाटक	70.65	गुजरात	90.94	तेलंगाना	86.19	कर्नाटक	81.33
2	केरल	70.59	महाराष्ट्र	74.74	कर्नाटक	57.62	केरल	62.89	तमिलनाडु	84.25	तमिलनाडु	84.29	केरल	81.18
3	तमिलनाडु	68.38	कर्नाटक	74.43	ओडिशा	57.46	तमिलनाडु	55.78	केरल	82.99	गुजरात	83.96	महाराष्ट्र	80.36
4	महाराष्ट्र	61.44	हरियाणा	73.3	राजस्थान	56.13	राजस्थान	54.56	कर्नाटक	80.11	गोवा	77.7	उत्तर प्रदेश	76.07
5	उत्तरप्रदेश	60.07	मध्यप्रदेश	70	केरल	53.86	ओडिशा	53.57	छत्तीसगढ	78.33	आंध्र प्रदेश	76.69	तमिलनाडु	71
6	गुजरात	58.26	ओडिशा	69.2	उत्तर प्रदेश	46.89	पश्चिम बंगाल	52.96	बिहार	75.13	उत्तर प्रदेश	74.44	आंध्र प्रदेश	60.49

7	राजस्थान	56.67	राजस्थान	68.54	महाराष्ट्र	46.52	उत्तर प्रदेश	51.76	महाराष्ट्र	73.63	महाराष्ट्र	73.35	तेलंगाना	60.43
8	पश्चिमबंगाल	56.52	छत्तीसगढ	68.51	छत्तीसगढ	42.39	छत्तीसगढ	51.45	आंध्र प्रदेश	68.78	कर्नाटक	71.59	छत्तीसगढ	58.17
9	छत्तीसगढ	56.26	तमिलनाडु	66.83	गुजरात	41.23	तेलंगाना	46.86	पश्चिम बंगाल	67.76	केरल	71.11	पश्चिम बंगाल	57.87
10	तेलंगाना	55.1	पश्चिम बंगाल	62.3	मध्यप्रदेश	39.47	बिहार	43.86	राजस्थान	64.03	पश्चिम बंगाल	70.63	ओडिशा	51.92
11	आंध्रप्रदेश	54.43	गुजरात	61.65	तेलंगाना	38.77	आंध्र प्रदेश	43.19	उत्तर प्रदेश	63.13	मध्यप्रदेश	70	बिहार	51.64
12	मध्यप्रदेश	50.94	आंध्र प्रदेश	60.08	पश्चिम बंगाल	33.07	महाराष्ट्र	42.96	मध्यप्रदेश	62.22	राजस्थान	61.43	गुजरात	47.9
13	ओडिशा	50.03	उत्तर प्रदेश	54.64	पंजाब	31.97	मध्यप्रदेश	42.34	तेलंगाना	58.01	बिहार	55.27	हरियाणा	41.93
14	बिहार	48.24	गोवा	52.88	आंध्र प्रदेश	30.5	गुजरात	41.63	गोवा	46.31	छत्तीसगढ	47.61	राजस्थान	41.43
15	हरियाणा	39.33	बिहार	49.76	झारखंड	27.56	हरियाणा	40.38	हरियाणा	38.48	ओडिशा	43.43	मध्यप्रदेश	36.55
16	गोवा	37.71	पंजाब	47.26	बिहार	18.69	पंजाब	36.36	झारखंड	27.83	हरियाणा	35.35	गोवा	31.75
17	पंजाब	29.34	तेलंगाना	45.35	हरियाणा	16.82	झारखंड	30.05	ओडिशा	27.42	पंजाब	26.34	पंजाब	24.87

18	झारखंड	27.73	झारखंड	42.3	गोवा	6.63	गोवा	26.88	पंजाब	8.2	झारखंड	24.72	झारखंड	16.47
पूर्वोत्तर / पहाड़ीक्षेत्रकेराज्य														
1	त्रिपुरा	57.58	उत्तराखंड	70.95	सिक्किम	42.59	त्रिपुरा	59.16	हिमाचल प्रदेश	70.06	हिमाचल प्रदेश	83.68	त्रिपुरा	70.69
2	हिमाचलप्रदेश	53.17	त्रिपुरा	66.5	असम	28.66	हिमाचल प्रदेश	48.41	असम	65.12	त्रिपुरा	76.82	असम	57.14
3	उत्तराखंड	49.11	सिक्किम	65.27	हिमाचल प्रदेश	23.01	उत्तराखंड	47.11	उत्तराखंड	60.49	असम	71.96	उत्तराखंड	52.72
4	असम	49.06	हिमाचल प्रदेश	62.22	त्रिपुरा	21.5	सिक्किम	43.5	त्रिपुरा	52.22	उत्तराखंड	56.02	हिमाचल प्रदेश	39.41
5	सिक्किम	43.81	असम	54.04	उत्तराखंड	16.68	असम	34.06	सिक्किम	31.42	सिक्किम	53.23	सिक्किम	34.94
6	अरुणाचलप्रदेश#	17.96	अरुणाचल प्रदेश#	41.5	अरुणाचल प्रदेश#	12.7	मणिपुर#	13.17	मणिपुर#	21.4	अरुणाचल प्रदेश#	37.4	मणिपुर#	28.75
7	मणिपुर#	17.13	मणिपुर#	34.05	मणिपुर#	11.23	अरुणाचल प्रदेश#	6.83	अरुणाचल प्रदेश#	5.74	मणिपुर#	3.75	अरुणाचल प्रदेश#	22.56
संघ राज्य क्षेत्र														

1	जम्मूऔरकश्मीर	27.85	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.21	जम्मू और कश्मीर	11.88	पुदुचेरी	16.16	लक्षद्वीप#	39.53	जम्मू और कश्मीर	55.08	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.73
2	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	27.15	लक्षद्वीप#	31.42	लद्दाख	11.08	जम्मू और कश्मीर	13.29	जम्मू और कश्मीर	36.97	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54.82	जम्मू और कश्मीर	39.76
3	लक्षद्वीप#	18.32	जम्मू और कश्मीर	23.07	लक्षद्वीप#	10.36	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.09	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	31.69	लद्दाख	29.32	पुदुचेरी	29.33
4	लद्दाख	16.18	लद्दाख	22.21	पुदुचेरी	4.63	दादरा और नगर हवेली और दमन	5.45	लद्दाख	25.25	लक्षद्वीप#	15.18	लक्षद्वीप#	28.13

							और दीव#							
5	पुदुचेरी	16.16	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	22.06	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.5	लक्षद्वीप#	3.99	पुदुचेरी	21.49	पुदुचेरी	13.75	लद्दाख	27.43
6	दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनऔरदीव#	13.62	पुदुचेरी	9.31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	0	लद्दाख	0	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.94	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	8.57	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	24.91
	राष्ट्रीयऔसत	**43.89**		**54.29**		**29.18**		**37.04**		**50.96**		**54.63**		47.51

स्रोत:"राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट

नोट: #वे राज्य जिनके लिए पिछले आँकड़े इस्तेमाल किए गए हैं।